कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

रेलवे अस्पताल के सामने, रातानाडा, जोधपुर–342001
वेब–urban.rajasthan.gov.in/joda Phone No. 0291-2612086/265635-7 Fax 0291-2612086

क्रमांकः F37(3)/नि.आ./बीपीसी(एल.पी.)/का.वि./2022/3519 दिनांकः– 8/8/22

–:कार्यवाही विवरण:–

विषयः– भवन मानचित्र समिति (ले–आउट प्लान) की 05/2022 की बैठक (जोन पूर्व) दिनांक 27.07.2022 को आयुक्त महोदय, जोविप्रा, जोधपुर की अध्यक्षता में उनके कक्ष में आयोजित हुई, इसमें प्रस्तुत एजेण्ड़ा पर विचार विमर्श किया जाकर निम्नवत निर्णय लिये गये। उपस्थित सदस्यों का विवरण परिशिष्ट–"1" पर है।

एजेण्डा संख्या 1 :– (27.07.2022)

विषय :– भवन मानचित्र समिति (ले–आउट प्लान) की 04/2022 की बैठक (जोन पूर्व) दिनांक 07.06.2022के कार्यवाही विवरण की पुष्टि।

निर्णय :– समिति द्वारा बाद विचार–विमर्श उपरान्त गत बैठक के कार्यवाही विवरण की सर्वसम्मति से पुष्टि की गयी।

जोन पूर्व

एजेन्डा संख्या 02

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
27.07.2022	पूर्व	बासनी बैन्दा	54/1/3	07.10.00 बीघा में से 06.01.10 बीघा	*आवासीय योजना*
आवेदक	मैसर्स सिल्वर लाईन बिल्डहोम प्रा.जि जरिये श्री हर्षवर्धनसिंह पुत्र श्री करणसिंह				
विषयः–	राजस्व ग्राम बासनी बैन्दा के खसरा संख्या 54/1/3 रकबा 07.10.00 बीघा में से 06.01.10 बीघा में आवासीय योजना प्रयोजनार्थ ले–आउट प्लान अनुमोदन बाबत्।				
निर्णयः–	**समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार–विमर्श प्रकरण में आवेदित भूमि मे जोनल डवलपमेंट प्लान मे प्रस्तावित सडक व वृक्षारोपण पट्टी का अंकन कर संशोधित मानचित्र प्राप्त कर आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।**				

एजेन्डा संख्या 03

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
27.07.2022	पूर्व	झालामण्ड	751/2	03.00.00 बीघा	*आवासीय योजना*
आवेदक	श्री विक्रम पुत्र श्री मोहनलाल				
विषयः–	राजस्व ग्राम झालामण्ड के खसरा संख्या 751/2 रकबा 03.00.00 बीघा बीघा में आवासीय योजना प्रयोजनार्थ ले–आउट प्लान अनुमोदन बाबत्।				
निर्णयः–	**समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार–विमर्श निम्नलिखित शर्तो के साथ ले–आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गयाः–** 1. आवेदित भूमि को उपलब्ध पहुँच मार्ग की चौडाई मास्टर डवलपमेंट प्लान अनुसार 60 मीटर रखे जाने हेतु सडक मध्य से 30 मीटर भूमि प्रार्थी से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावें। 2. आवेदित भूमि मे से जोनल डवलपमेंट प्लान की 30 मीटर सडक गुजर रही है जिसका अंकन मानचित्र में किया जावें।				

	3. राज्य सरकार द्वारा दिनांक 10.08.2020 को जारी अधिसूचना अनुसार नियमानुसार मोबाईल टॉवर एवं ठोस कचरा संग्रहण स्थल का प्रावधान किया जावें। 4. नियमानुसार आन्तरिक विकास कार्यो की एवज् में विक्रय योग्य क्षेत्रफल के 12.5 प्रतिशत क्षेत्रफल के बराबर भूखण्ड रहन में रखे जाने है जिनको आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण होने की सुनिश्चितता के उपरान्त रहन मुक्त किया जावेगा। 5. मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के प्रावधानुसार नियमानुसार राशि जोन स्तर पर ली जावें। 6. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ–पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नही है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ–पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें। 7. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेन्डा संख्या 04

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
27.07.2022	पूर्व	बनाड	347 / 1	07.02.00 बीघा	*आवासीय योजना*
आवेदक	श्री चुन्नीलाल पुत्र श्री भींयाराम, श्री मंछाराम पुत्र श्री पीराराम				
विषयः–	राजस्व ग्राम बनाड के खसरा संख्या 347 / 1 रकबा 07.02.00 बीघा में आवासीय योजना प्रयोजनार्थ ले–आउट प्लान अनुमोदन बाबत्।				
निर्णयः–	**समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार–विमर्श निम्नलिखित शर्तो के साथ ले–आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गयाः–** 1. आवेदित भूमि को उपलब्ध पहुँच मार्ग की चौडाई जोनल डवलपमेंट प्लान अनुसार 30 मीटर रखे जाने हेतु सडक मध्य से 15 मीटर भूमि प्रार्थी से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावें। 2. प्रार्थी द्वारा जंमाबदी से कम क्षेत्रफल का ले–आउट प्लान प्रस्तुत किया है अतः प्रार्थी से इस बाबत् शपथ–पत्र प्राप्त किया जावे की भविष्य में उनके द्वारा शेष भूमि का दावा नही किया जावेगा। 3. राज्य सरकार द्वारा दिनांक 10.08.2020 को जारी अधिसूचना अनुसार नियमानुसार मोबाईल टॉवर एवं ठोस कचरा संग्रहण स्थल का प्रावधान किया जावें। 4. नियमानुसार आन्तरिक विकास कार्यो की एवज् में विक्रय योग्य क्षेत्रफल के 12.5 प्रतिशत क्षेत्रफल के बराबर भूखण्ड रहन में रखे जाने है जिनको आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण होने की सुनिश्चितता के उपरान्त रहन मुक्त किया जावेगा। 5. मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के प्रावधानुसार नियमानुसार राशि जोन स्तर पर ली जावें। 6. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ–पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नही है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ–पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें। 7. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।				

एजेन्डा संख्या 05

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
27.07.2022	पूर्व	बनाड	559 / 2	07.01.00 बीघा	*आवासीय योजना*

आवेदक	असगर खां पुत्र जमाल खां, जुंझार सिंह राठौड पुत्र श्री उम्मेदसिंह, श्री दलजीतसिंह राठौड पुत्र श्री जुंझारसिंह राठौड
विषयः–	राजस्व ग्राम बनाड के खसरा संख्या 559/2 रकबा 07.01.00 बीघा में आवासीय योजना प्रयोजनार्थ ले–आउट प्लान अनुमोदन बाबत्।
निर्णयः–	**समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार–विमर्श निम्नलिखित शर्तो के साथ ले–आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय** लिया गयाः– 1. आवेदित भूमि को प्राधिकरण द्वारा पूर्व में अनुमोदित योजना खसरा संख्या 559 मीन व 559/2 नवीन खसरा संख्या 559/4 से 40 फीट पहुंच मार्ग उपलब्ध हो रहा है, जिसकी सुनिश्चितता जोन स्तर पर की जावें। 2. प्रार्थी द्वारा जमाबदी से कम क्षेत्रफल का ले–आउट प्लान प्रस्तुत किया है अतः प्रार्थी से इस बाबत् शपथ–पत्र प्राप्त किया जावे की भविष्य में उनके द्वारा शेष भूमि का दावा नही किया जावेगा। 3. राज्य सरकार द्वारा दिनांक 10.08.2020 को जारी अधिसूचना अनुसार नियमानुसार मोबाईल टॉवर एवं ठोस कचरा संग्रहण स्थल का प्रावधान किया जावें। 4. नियमानुसार आन्तरिक विकास कार्यो की एवज् में विक्रय योग्य क्षेत्रफल के 12.5 प्रतिशत क्षेत्रफल के बराबर भूखण्ड रहन में रखे जाने है जिनको आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण होने की सुनिश्चितता के उपरान्त रहन मुक्त किया जावेगा। 5. मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के प्रावधानुसार नियमानुसार राशि जोन स्तर पर ली जावें। 6. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ–पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नही है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ–पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें। 7. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेन्डा संख्या 06

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
27.07.2022	पूर्व	झालामण्ड	395/2, 395/7, 395/14, 395/15	11.09.00 बीघा	*आवासीय योजना*

आवेदक	श्री राजेन्द्र सिंह पुत्र श्री हरिसिंह, श्रीमती गुलाब कंवर पत्नी श्री राजेन्द्र सिंह
विषयः–	राजस्व ग्राम झालामण्ड के खसरा संख्या 395/2, 395/7, 395/14, 395/15 रकबा 11.09.00 बीघा में आवासीय योजना प्रयोजनार्थ ले–आउट प्लान अनुमोदन बाबत्।
निर्णयः–	**समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार–विमर्श निम्नलिखित शर्तो के साथ ले–आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गयाः–** 1. आवेदित भूमि को प्राधिकरण द्वारा पूर्व में अनुमोदित योजना खसरा संख्या 395/10 वगैरह से 40 फीट पहुंच मार्ग उपलब्ध हो रहा है, जिसकी सुनिश्चितता जोन स्तर पर की जावें। 2. राज्य सरकार द्वारा दिनांक 10.08.2020 को जारी अधिसूचना अनुसार नियमानुसार मोबाईल टॉवर एवं ठोस कचरा संग्रहण स्थल का प्रावधान किया जावें। 3. नियमानुसार आन्तरिक विकास कार्यो की एवज् में विक्रय योग्य क्षेत्रफल के 12.5 प्रतिशत क्षेत्रफल के बराबर भूखण्ड रहन में रखे जाने है जिनको आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण होने की सुनिश्चितता के उपरान्त रहन मुक्त किया जावेगा।

	4. मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के प्रावधानुसार नियमानुसार राशि जोन स्तर पर ली जावें। 5. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ–पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नही है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ–पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें। 6. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेन्डा संख्या 07

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
27.07.2022	पूर्व	झालामण्ड	90 / 1	01.00.00 बीघा	*वाणिज्यिक (हस्तकला प्रतिष्ठान)*
आवेदक	श्री अजीतसिंह पुत्र श्री बंशीलाल				
विषयः–	राजस्व ग्राम झालामण्ड के खसरा संख्या 90 / 1 रकबा 01.00.00 बीघा में वाणिज्यिक (हस्तकला प्रतिष्ठान) प्रयोजनार्थ ले–आउट प्लान अनुमोदन बाबत्।				
निर्णयः–	**समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार–विमर्श निम्नलिखित शर्तो के साथ ले–आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गयाः–** 1. आवेदित भूमि को उपलब्ध पहुँच मार्ग की चौडाई मास्टर डवलपमेंट प्लान अनुसार 60 मीटर है अतः सडक मध्य से 30 मीटर भूमि में आ रही आवश्यक भूमि प्रार्थी से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावें। सडक मार्गाधिकार पश्चात् 30 मीटर गहराई तक वृक्षारोपण पट्टी का प्रावधान मानचित्र में किया जावे। 2. आवेदित भूमि में मौके पर निर्माण के संबंध में राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प. 18(25) नविवि / सामान्य / 2014 दिनांक 03.07.2020 के अनुसार शास्ती ली जावें एवम् किये गये निर्माण को एक वर्ष अवधि अथवा भवन अनुमति जारी होने से पूर्व हटाया जाना जोन स्तर से सुनिश्चित किया जावें। 3. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है0 से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावें। 4. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ–पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नही है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ–पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें। 5. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।				

एजेन्डा संख्या 08

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
27.07.2022	पूर्व	दांतीवाडा	426 / 1	06.06.17 बीघा	*फार्म हाउस एकल भूखण्ड*
आवेदक	श्री कैलाशचन्द्र पुत्र श्री मांगीलाल, श्रीमती भंवरीदेवी पत्नी श्री भींयाराम				
विषयः–	राजस्व ग्राम दांतीवाडा के खसरा संख्या 426 / 1 रकबा 06.06.17 बीघा में *फार्म हाउस एकल भूखण्ड* प्रयोजनार्थ ले–आउट प्लान अनुमोदन बाबत्।				
निर्णयः–	**समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार–विमर्श निम्नलिखित शर्तो के साथ ले–आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गयाः–**				

	1. आवेदित भूमि को उपलब्ध पहुँच मार्ग की चौडाई मास्टर डवलपमेंट प्लान अनुसार 60 मीटर है अतः सडक मध्य से 30 मीटर भूमि में आ रही आवश्यक भूमि प्रार्थी से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावें। सडक मार्गाधिकार पश्चात् 30 मीटर गहराई तक वृक्षारोपण पट्टी का प्रावधान मानचित्र में किया जावे। 2. आवेदित भूमि के पीछे स्थित रास्ते का मार्गाधिकार 100 फीट प्रस्तावित किये जाने के संबंध में जोन उपायुक्त द्वारा नगरीय विकास विभाग राजस्थान सरकार के अधिसूचना दिनांक 10.08.2020 के बिन्दु सख्या 01 अनुसार आपत्ति आमंत्रण की कार्यवाही जोन स्तर पर की जावें। कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर सडक मार्गाधिकार हेतु 100 फीट रखते हुए सडक मध्य से 50 फीट भूमि में आ रही प्रार्थी की भूमि जोविप्रा के हक में निःशुल्क समर्पित की जाकर ले–आउट प्लान जारी किया जावें। आपत्ति प्राप्त होने पर प्रकरण को आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावे। 3. राज्य सरकार के आदेश दिनांक 13.03.2018 के अनुसार फार्म हाउस का एकल पट्टा जारी करते समय यह शर्त अंकित की जावे कि भविष्य में यदि सेक्टर रोड निकलती है व फार्म हाउस की भूमि प्रभावित होती है, तो यह प्रभावित भूमि संबंधित नगरीय निकाय को निःशुल्क उपलब्ध करानी होगी। भविष्य में यदि अन्य उपयोग के लिए रूपान्तरण किया जाता है तो उस उपयोग हेतु तय मानदण्ड लागू होंगे। 4. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ–पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नही है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ–पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें। 5. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम के अनुसार भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेन्डा संख्या 09

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
27.07.2022	पूर्व	बनाड	112, 115	10.19.00 बीघा	*आवासीय योजना*
आवेदक	श्री यश जैन पुत्र श्री अशोक कुमार जैन, श्री पूनमसिंह सोलंकी पुत्र श्री संतोषसिंह, श्री भरतसिंह पुत्र श्री सज्जनसिंह				
विषयः–	राजस्व ग्राम बनाड के खसरा संख्या 112, 115 रकबा 10.19.00 बीघा में आवासीय योजना प्रयोजनार्थ ले–आउट प्लान अनुमोदन बाबत्।				
निर्णयः–	**समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार–विमर्श प्रकरण में आवेदित भूमि मे जोनल डवलपमेंट प्लान मे दर्शित जलीय इकाई (उक्त जलीय इकाई राजस्व रिकॉड एवम् मौके पर मोजूद नही) को विलोपित किये जाने हेतु विधिक राय प्राप्त कर आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।**				

एजेन्डा संख्या 10

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
27.07.2022	पूर्व	बासनी बैन्दा	37/1	21.01.00 बीघा में से 04.10.00 बीघा	*आवासीय योजना*
आवेदक	श्री बींजाराम पुत्र श्री गोपाराम				
विषयः–	राजस्व ग्राम बासनी बैन्दा के खसरा संख्या 37/1 रकबा 21.01.00 बीघा में से 04.10.00 बीघा में आवासीय योजना प्रयोजनार्थ ले–आउट प्लान अनुमोदन बाबत्।				
निर्णयः–	**समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार–विमर्श निम्नलिखित शर्तो के साथ ले–आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गयाः–**				

	1. आवेदित भूमि को पूर्व अनुमोदित योजना खसरा संख्या 37/1/1 व 37/1/2 मे अनुमोदित योजना से 40 फीट पहुंच मार्ग उपलब्ध हो रहा है, जिसकी सुनिश्चितता जोन स्तर पर की जावें। सड़क मार्गाधिकार हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावें। 2. आवेदित भूमि मे से जोनल डवलपमेंट प्लान की 18 मीटर सडक गुजर रही है जिसका अंकन मानचित्र में किया जावें। 3. राज्य सरकार द्वारा दिनांक 10.08.2020 को जारी अधिसूचना अनुसार नियमानुसार मोबाईल टॉवर एवं ठोस कचरा संग्रहण स्थल का प्रावधान किया जावें। 4. नियमानुसार आन्तरिक विकास कार्यो की एवज् में विक्रय योग्य क्षेत्रफल के 12.5 प्रतिशत क्षेत्रफल के बराबर भूखण्ड रहन में रखे जाने है जिनको आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण होने की सुनिश्चितता के उपरान्त रहन मुक्त किया जावेगा। 5. मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के प्रावधानुसार नियमानुसार राशि जोन स्तर पर ली जावें। 6. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ–पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नही है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ–पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें। 7. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेन्डा संख्या 11

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
27.07.2022	पूर्व	उचियारडा	116/1/1, 116/1/2, 118/2/1	05.06.04 बीघा	*आवासीय योजना*
आवेदक	श्रीमती मंजूदेवी पत्नी श्री बीरमाराम, कुमारी खुशबु आचार्य पुत्री श्री बीरमाराम आचार्य, श्री घेवरराम पुत्र श्री बस्तीराम				
विषयः–	राजस्व ग्राम उचियारडा के खसरा संख्या 116/1/1, 116/1/2, 118/2/1 रकबा 05.06.04 बीघा आवासीय योजना प्रयोजनार्थ ले–आउट प्लान अनुमोदन बाबत्।				
निर्णयः–	**समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार–विमर्श निम्नलिखित शर्तो के साथ ले–आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गयाः–** 1. आवेदित भूमि को उपलब्ध पहुँच मार्ग को 60 फीट किया जावे एवम् सडक मध्य से 30 फीट भूमि प्रार्थी से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावें। 2. राज्य सरकार द्वारा दिनांक 10.08.2020 को जारी अधिसूचना अनुसार नियमानुसार मोबाईल टॉवर एवं ठोस कचरा संग्रहण स्थल का प्रावधान किया जावें। 3. नियमानुसार आन्तरिक विकास कार्यो की एवज् में विक्रय योग्य क्षेत्रफल के 12.5 प्रतिशत क्षेत्रफल के बराबर भूखण्ड रहन में रखे जाने है जिनको आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण होने की सुनिश्चितता के उपरान्त रहन मुक्त किया जावेगा। 4. मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के प्रावधानुसार नियमानुसार राशि जोन स्तर पर ली जावें। 5. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ–पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नही है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ–पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें। 6. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।				

एजेन्डा संख्या 12

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
27.07.2022	पूर्व	दांतिवाडा	420/2	01.13.04 बीघा	*फार्म हाउस एकल भूखण्ड*
आवेदक	श्री जगदीश पुत्र श्री कानाराम				
विषयः–	राजस्व ग्राम दांतिवाडा के खसरा संख्या 420/2 रकबा 01.13.04 बीघा फार्म हाउस एकल भूखण्ड योजना प्रयोजनार्थ ले–आउट प्लान अनुमोदन बाबत्।				
निर्णयः–	**समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार–विमर्श निम्नलिखित शर्तो के साथ ले–आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गयाः–** 1. आवेदित भूमि को उपलब्ध पहुँच मार्ग की चौडाई मास्टर डवलपमेंट प्लान अनुसार 60 मीटर है अतः सडक मध्य से 30 मीटर भूमि में आ रही आवश्यक भूमि प्रार्थी से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावें। सडक मार्गाधिकार पश्चात् 30 मीटर गहराई तक वृक्षारोपण पट्टी का प्रावधान मानचित्र में किया जावे। 2. राज्य सरकार के आदेश दिनांक 13.03.2018 के अनुसार फार्म हाउस का एकल पट्टा जारी करते समय यह शर्त अंकित की जावे कि भविष्य में यदि सेक्टर रोड निकलती है व फार्म हाउस की भूमि प्रभावित होती है, तो यह प्रभावित भूमि संबंधित नगरीय निकाय को निःशुल्क उपलब्ध करानी होगी। भविष्य में यदि अन्य उपयोग के लिए रूपान्तरण किया जाता है तो उस उपयोग हेतु तय मानदण्ड लागू होंगे। 3. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ–पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नही है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ–पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें। 4. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम के अनुसार भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।				

एजेन्डा संख्या 13

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
27.07.2022	पूर्व	झालाण्ड	853/3 नवीन खसरा संख्या 853/8, 853/5, 853/4	12.00.00 बीघा	*आवासीय योजना*
आवेदक	श्रीमती राजुडी पत्नी श्री भीकाराम, श्रीमती चम्पा पत्नी श्री केवलराम, श्रीमती लीला पत्नी श्री ओमाराम मेघवाल				
विषयः–	राजस्व ग्राम झालाण्ड के खसरा संख्या 853/3 नवीन खसरा संख्या 853/8, 853/5, 853/4 रकबा 12.00.00 बीघा में आवासीय योजना प्रयोजनार्थ ले–आउट प्लान अनुमोदन बाबत्।				
निर्णयः–	**समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार–विमर्श निम्नलिखित शर्तो के साथ ले–आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गयाः–** 1. आवेदित भूमि को उपलब्ध पहुँच मार्ग का मार्गाधिकार 60 फीट रखा जावें तथा सडक मध्य से 30 फीट भूमि में आ रही प्रार्थी की भूमि निशुल्क समर्पित करवायी जावें। 2. आवेदित भूमि मे से जोनल डवलपमेंट प्लान अनुसार एचटी लाईन के सहारे सेफ्टी कोरिडोर के उपरान्त 30–30 मीटर सडक प्रस्तावित है जिसे योजना मानचित्र में दर्शाया				

	जावे तथा आवेदित भूमि के दक्षिण से गुजर रही जोनल डवलपमेंट प्लान की 24 मीटर सडक को भी दर्शाया जावे। 3. राज्य सरकार द्वारा दिनांक 10.08.2020 को जारी अधिसूचना अनुसार नियमानुसार मोबाईल टॉवर एवं ठोस कचरा संग्रहण स्थल का प्रावधान किया जावें। 4. नियमानुसार आन्तरिक विकास कार्यो की एवज् में विक्रय योग्य क्षेत्रफल के 12.5 प्रतिशत क्षेत्रफल के बराबर भूखण्ड रहन में रखे जाने है जिनको आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण होने की सुनिश्चितता के उपरान्त रहन मुक्त किया जावेगा। 5. मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के प्रावधानुसार नियमानुसार राशि जोन स्तर पर ली जावें। 6. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ–पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नही है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ–पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें। 7. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेन्डा संख्या 14

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
27.07.2022	पूर्व	विनायकिया	86/1	05.00.00 बीघा	*आवासीय योजना*
आवेदक	श्री बीरबल चौधरी, श्री रतनलाल चौधरी पुत्रान् श्री धर्माराम व श्री जितेन्द्र चौधरी पुत्र श्री सुरेन्द्र चौधरी				
विषयः–	राजस्व ग्राम विनायकिया के खसरा संख्या 86/1 रकबा 05.00.00 बीघा में आवासीय योजना प्रयोजनार्थ ले–आउट प्लान अनुमोदन बाबत्।				
निर्णयः–	**समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार–विमर्श निम्नलिखित शर्तो के साथ ले–आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गयाः–** 1. आवेदित भूमि को उपलब्ध पहुँच मार्ग की चौडाई मास्टर डवलमेंट प्लान अनुसार 36 मीटर है अतः सडक मध्य से 18 मीटर में आ रही भूमि मे से प्रार्थी की भूमि निःशुल्क समर्पित करवायी जावें। 2. राज्य सरकार द्वारा दिनांक 10.08.2020 को जारी अधिसूचना अनुसार नियमानुसार मोबाईल टॉवर एवं ठोस कचरा संग्रहण स्थल का प्रावधान किया जावें। 3. नियमानुसार आन्तरिक विकास कार्यो की एवज् में विक्रय योग्य क्षेत्रफल के 12.5 प्रतिशत क्षेत्रफल के बराबर भूखण्ड रहन में रखे जाने है जिनको आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण होने की सुनिश्चितता के उपरान्त रहन मुक्त किया जावेगा। 4. मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के प्रावधानुसार नियमानुसार राशि जोन स्तर पर ली जावें। 5. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ–पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नही है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ–पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें। 6. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।				

एजेन्डा संख्या 15

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन

27.07.2022	पूर्व	झालामण्ड	438/5, 438/6, 438/7, 440, 440/1, 440/2, 441	25.11.04 बीघा	चिकित्सा सुविधा (मेडिकल ऑक्सीजन प्लाण्ट)
आवेदक	श्रीमती सतीश कुंती गोयल मेडिकल फाउण्डेशन प्रा.लि जोधपुर जरिये डायरेक्टर श्रीमती सुभाषनी पत्नी श्री आनन्द गोयल				
विषयः–	राजस्व ग्राम झालामण्ड के खसरा संख्या 438/5, 438/6, 438/7, 440, 440/1, 440/2, 441 रकबा 25.11.04 बीघा में चिकित्सा सुविधा (मेडिकल ऑक्सीजन प्लाण्ट) योजना प्रयोजनार्थ ले–आउट प्लान अनुमोदन बाबत्।				
निर्णयः–	**समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार–विमर्श निम्नलिखित शर्तो के साथ ले–आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गयाः–** 1. आवेदित भूमि को उपलब्ध पहुँच मार्ग की चौडाइ मास्टर डवलपमेंट प्लान अनुसार 30 मीटर रखे जाने हेतु सडक मध्य से 15 मीटर भूमि मे से प्रार्थी की भूमि जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावें। 2. आवेदित भूमि के पश्चिम में जौजरी नदी के सहारे नदी की राजस्व सीमा के पश्चात् वृक्षारोपण पट्टी व 30 मीटर सड़क का अंकन मानचित्र में किया जावे। 3. राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 22.06.2017 अनुसार पट्टे में यह शर्त अंकित की जावे की भविष्य में उस क्षेत्र में यदि किसी सार्वजनिक उपयोग यथा पुलिस स्टेशन आदि स्थापित किये जाने के लिए भूमि की आवश्यकता होगी तो संबंधित संस्थान द्वारा 5 प्रतिशत सीमा तक निःशुल्क समर्पित की जावेगी। 4. आवेदित भूमि में से गुजर रही विद्युत लाईन की क्षमता बाबत् टिप्पणी प्राप्त कर नियमानुसार सेफ्टी कोरिडोर का प्रावधान किया जावे। 5. आवेदित भूमि पर मौके पर किये गए निर्माण के संबध में राज्य सरकार के आदेश दिनांक 03.07.2020 के कम में निर्धारित शास्ति वसूल की जावे तथा अनाधिकृत निर्माण एक साल में हटाये जाने बाबत् शपथ–पत्र प्राप्त किया जावे। साथ ही मौके पर संचालित नर्सिंग कॉलेज को अन्यत्र शिफ्ट किया जाने बाबत् भी शपथ–पत्र प्राप्त किया जावे। 6. आवेदक भूमि का उपयोग केवल मात्र मेडिकल ऑक्सीजन प्लॉट हेतु ही करेगा एवं अन्य किसी भी प्रकार की गतिविधि अनुज्ञेय नहीं होगी। इस बाबत प्रार्थी से शपथपत्र प्राप्त कर ही पट्टा जारी किया जावे। 7. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ–पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नही है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ–पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें। 8. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।				

एजेन्डा संख्या 16

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
27.07.2022	पूर्व	बासनी निकूबा	25/4	03.13.10 बीघा	*फार्म हाउस एकल भूखण्ड*
आवेदक	श्री झुमरराम पुत्र श्री लूणाराम				
विषयः–	राजस्व ग्राम बासनी निकूबा के खसरा संख्या 25/4 रकबा 03.13.10 बीघा में फार्म हाउस एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ ले–आउट प्लान अनुमोदन बाबत्।				

निर्णयः–	समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार–विमर्श **निम्नलिखित शर्तो के साथ ले–आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गयाः–** 1. आवेदित भूमि को 60 फीट समर्पित रास्ते से पहुँच मार्ग उपलब्ध हो रहा है जिसकी सुनिश्चितता जोन स्तर पर की जावे। 2. आवेदित भूमि में से गुजर रही विद्युत लाईन की क्षमता बाबत् टिप्पणी प्राप्त कर नियमानुसार सेफ्टी कोरिडोर का प्रावधान किया जावे। 3. राज्य सरकार के आदेश दिनांक 13.03.2018 के अनुसार फार्म हाउस का एकल पट्टा जारी करते समय यह शर्त अंकित की जावे कि भविष्य में यदि सेक्टर रोड निकलती है व फार्म हाउस की भूमि प्रभावित होती है, तो यह प्रभावित भूमि संबंधित नगरीय निकाय को निःशुल्क उपलब्ध करानी होगी। भविष्य में यदि अन्य उपयोग के लिए रूपान्तरण किया जाता है तो उस उपयोग हेतु तय मानदण्ड लागू होंगे। 4. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ–पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नही है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ–पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें। 5. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम के अनुसार भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेन्डा संख्या 17

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
27.07.2022	पूर्व	झालामण्ड	17/3	00.18.5.5 बीघा	*आवासीय योजना*
आवेदक	श्री अभय प्रकाश पुत्र स्व. श्री देवाराम				
विषयः–	राजस्व ग्राम झालामण्ड के खसरा संख्या 17/3 रकबा 00.18.5.5 बीघा में आवासीय योजना प्रयोजनार्थ ले–आउट प्लान अनुमोदन बाबत्।				
निर्णयः–	**समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार–विमर्श निम्नलिखित शर्तो के साथ ले–आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गयाः–** 1. आवेदित भूमि को मौका व रिकॉर्ड अनुसार 40 फीट रास्ते से पहुँच मार्ग उपलब्ध हो रहा है जिसकी सुनिश्चितता जोन स्तर पर की जावे। 2. राज्य सरकार द्वारा दिनांक 10.08.2020 को जारी अधिसूचना अनुसार नियमानुसार मोबाईल टॉवर एवं ठोस कचरा संग्रहण स्थल का प्रावधान किया जावें। 3. नियमानुसार आन्तरिक विकास कार्यो की एवज् में विक्रय योग्य क्षेत्रफल के 12.5 प्रतिशत क्षेत्रफल के बराबर भूखण्ड रहन में रखे जाने है जिनको आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण होने की सुनिश्चितता के उपरान्त रहन मुक्त किया जावेगा। 4. मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के प्रावधानुसार नियमानुसार राशि जोन स्तर पर ली जावें। 5. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ–पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नही है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ–पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें। 6. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।				

एजेन्डा संख्या 17

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन

27.07.2022	पूर्व	झालामण्ड	272	07.02.00 बीघा में से 4729.69 वर्गमीटर	*हॉस्टल प्रयोजनार्थ*
आवेदक	श्री कैलाश मोदी पुत्र श्री केवलचन्द मोदी				
विषयः–	राजस्व ग्राम झालामण्ड के खसरा संख्या 272 रकबा 07.02.00 बीघा में से 4729.69 वर्गमीटर में हॉस्टल प्रयोजनार्थ योजना प्रयोजनार्थ ले–आउट प्लान अनुमोदन बाबत्।				
निर्णयः–	**समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार–विमर्श निम्नलिखित शर्तो के साथ ले–आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गयाः–** 1. आवेदित भूमि को उपलब्ध पहुँच मार्ग की चौडाई मास्टर डवलपमेंट प्लान अनुसार 36 मीटर रखे जाने हेतु सडक मध्य से 18 मीटर भूमि मे से प्रार्थी की भूमि जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावें। 2. आवेदित भूमि पर मौके पर किये गए निर्माण के संबध में नवीन मौका रिपोर्ट प्राप्त कर राज्य सरकार के आदेश दिनांक 03.07.2020 के कम में निर्धारित शास्ति वसूल की जावे तथा अनाधिकृत निर्माण एक साल में हटाये जाने बाबत् शपथ–पत्र प्राप्त किया जावे। 3. राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 22.06.2017 अनुसार पट्टे में यह शर्त अंकित की जावे की भविष्य में उस क्षेत्र में यदि किसी सार्वजनिक उपयोग यथा पुलिस स्टेशन आदि स्थापित किये जाने के लिए भूमि की आवश्यकता होगी तो संबंधित संस्थान द्वारा 5 प्रतिशत सीमा तक निःशुल्क समर्पित की जावेगी। 4. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ–पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नही है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ–पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें। 5. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।				

एजेन्डा संख्या 18

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
27.07.2022	पूर्व	पेशावास	158/4 व 160/1	12157 वर्गमीटर	*रिसोर्ट एकल भूखण्ड*
आवेदक	श्री छगनलाल पुत्र श्री देवाराम				
विषयः–	राजस्व ग्राम पेशावास के खसरा संख्या 158/4 व 160/11 रकबा 12157 वर्गमीटर में रिसोर्ट एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ ले–आउट प्लान अनुमोदन बाबत्।				
निर्णयः–	**समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार–विमर्श प्रकरण में आवेदित भूमि को न्यूनतम आवश्यक पहुँच मार्ग उपलब्ध नही हो रहा है। अतः प्रकरण में प्रार्थी द्वारा न्यूनतम आवश्यक पहुँच मार्ग उपलब्ध करवाये जाने के उपरान्त आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।**				

एजेन्डा संख्या 19

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
27.07.2022	पूर्व	झालामण्ड	178/2 व 178/3	03.10.00 बीघा	*व्यवसायिक एकल*
आवेदक	श्रीमती रामीबाई पत्नी श्री पुखराज				

विषयः–	राजस्व ग्राम झालामण्ड के खसरा संख्या 178/2 व 178/3 रकबा 03.10.00 बीघा में व्यवसायिक एकल प्रयोजनार्थ ले–आउट प्लान अनुमोदन बाबत्।
निर्णयः–	**समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार–विमर्श निम्नलिखित शर्तो के साथ ले–आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गयाः–** 1. आवेदित भूमि को उपलब्ध पहुँच मार्ग की चौडाई मास्टर डवलपमेंट प्लान अनुसार 60 मीटर है अतः सडक मध्य से 30 मीटर भूमि में आ रही आवश्यक भूमि प्रार्थी से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावें। सडक मार्गाधिकार पश्चात् 30 मीटर गहराई तक वृक्षारोपण पट्टी का प्रावधान मानचित्र में किया जावे। 2. आवेदित भूमि के पूर्व दिशा में स्थित सड़क का मार्गाधिकार 40' रखे जाने हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी की भूमि में से निशुल्क समर्पित करवायी जावे। 3. आवेदित भूमि मे से गुजर रही जोनल डवलपमेंट प्लान की 18 मीटर सड़क का अंकन मानचित्र में किया जावे। 4. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है0 से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावें। 5. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ–पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नही है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ–पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें। 6. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवानें से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेन्डा संख्या 20

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
27.07.2022	पूर्व	बासनी बैन्दा	71/3 व 71/4	10.00.00 बीघा	*एग्रो वेयर हाउस*
आवेदक	श्री नरेन्द्र जनवानी पुत्रं श्री गोविन्द जनवानी, श्रीमती कविता देवी पु श्री भागनदास सिंध, श्री तुलसीदास पुत्र श्री किशनचन्द, श्रीमती लीलादेवी पत्नी श्री किशनचन्द				
विषयः–	राजस्व ग्राम बासनी बैन्दा के खसरा संख्या 70/3 व 71./4 रकबा 10.00.00 बीघा में एग्रो वेयर हाउस प्रयोजनार्थ ले–आउट प्लान अनुमोदन बाबत्।				
निर्णयः–	**समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार–विमर्श प्रकरण में निम्नलिखित शर्तो के साथ ले–आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गयाः–** 1. आवेदित भूमि को उपलब्ध पहुंच मार्ग की चौडाई मास्टर डवलपमेंट प्लान अनुसार 60 मीटर आरक्षित है। अतः सडक मध्य से 30 मीटर भूमि में आ रही प्रार्थी की भूमि सडक मार्गाधिकार हेतु निःशुल्क समर्पित की जावें। सडक मार्गाधिकार पश्चात् 30 मीटर गहराई की वृक्षारोपण पट्टी का प्रावधान किया जावें। 2. प्रार्थी द्वारा वेयर हाउस से एग्रो वेयर हाउस प्रयोजनार्थ परिवर्तित उपयोग हेतु राज्य सरकार के पत्र दिनांक 01.06.2022 के कम में पूर्व अनुसार शुल्क लिया जावे। 3. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है0 से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावें। 4. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ–पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नही है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ–पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें।				

	5. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेन्डा संख्या 21

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
27.07.2022	पूर्व	मोगडा खुर्द	142, 295	485390.88 वर्गमीटर	*ट्रासपोर्ट नगर व ओटोमोबाईल नगर योजना*
आवेदक	प्राधिकरण की ट्रासपोर्ट नगर व ओटोमोबाईल नगर योजना				
विषयः–	राजस्व ग्राम मोगडा खुर्द के खसरा संख्या 142, 295 रकबा 485390.88 वर्गमीटर में ट्रासपोर्ट नगर व ओटोमोबाईल नगर योजना प्रयोजनार्थ ले–आउट प्लान अनुमोदन बाबत्।				
निर्णयः–	**समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार–विमर्श प्रकरण मे संशोधित ले–आउट प्लान को अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया।**				

एजेन्डा संख्या 22

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
27.07.2022	पूर्व	झालामण्ड	701	01.15.00 बीघा	*आवासीय योजना*
आवेदक	श्री मांगीलाल पुत्र श्री सुखराम				
विषयः–	राजस्व ग्राम झालामण्ड के खसरा संख्या 701 रकबा 01.15.00 बीघा में आवासीय योजना प्रयोजनार्थ ले–आउट प्लान अनुमोदन बाबत्।				
निर्णयः–	**समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार–विमर्श निम्नलिखित शर्तो के साथ ले–आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गयाः–** 1. आवेदित भूमि को उपलब्ध पहुँच मार्ग की चौडाइ 60 फीट की जावे तथा सडक मध्य से 30 फीट भूमि में आ रही प्रार्थी की भूमि मे से निःशुल्क समर्पित करवायी जावे। 2. जंमाबदी से अधिक क्षेत्रफल 51.53 वर्गमीटर हेतु नियमानुसार राशि ली जावे। 3. राज्य सरकार द्वारा दिनांक 10.08.2020 को जारी अधिसूचना अनुसार नियमानुसार मोबाईल टॉवर एवं ठोस कचरा संग्रहण स्थल का प्रावधान किया जावें। 4. नियमानुसार आन्तरिक विकास कार्यो की एवज् में विक्रय योग्य क्षेत्रफल के 12.5 प्रतिशत क्षेत्रफल के बराबर भूखण्ड रहन में रखे जाने है जिनको आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण होने की सुनिश्चितता के उपरान्त रहन मुक्त किया जावेगा। 5. मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के प्रावधानुसार नियमानुसार राशि जोन स्तर पर ली जावें। 6. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ–पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नही है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ–पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें। 7. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवनं विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।				

एजेन्डा संख्या 23

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
27.07.2022	पूर्व	नान्दडा कंला	311, 311/5	4000 वर्गमीटर	*पेट्रोल पम्प*
आवेदक	श्री मेहराराम पुत्र श्री सांवताराम, श्री रमेश विश्नोई पुत्र श्री ओमाराम जी				

विषयः–	राजस्व ग्राम नान्दडा कंला के खसरा संख्या 311, 311/5 रकबा 4000 वर्गमीटर में पेट्रोल पम्प प्रयोजनार्थ ले–आउट प्लान अनुमोदन बाबत्।
निर्णयः–	**समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार–विमर्श निम्नलिखित शर्तो के साथ ले–आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गयाः–** 1. आवेदित भूमि को उपलब्ध पहुंच मार्ग की चौडाई मास्टर डवलपमेंट प्लान अनुसार 60 मीटर आरक्षित है। अतः सडक मध्य से 30 मीटर भूमि में आ रही प्रार्थी की भूमि सडक मार्गाधिकार हेतु निःशुल्क समर्पित की जावें। साथ ही राजस्थान (जोधपुर) भवन विनियम 2020 अनुसार सडक मार्गाधिकार के पश्चात् न्यूनतम 10 मीटर भूमि बफर हेतु छोडी जावें। एवम् इस 10 मीटर बफर में न्यूनतम 6 मीटर भूमि पर सघन वृक्षारोपण किया जावें। सडक मार्गाधिकार हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावें एवं उक्त भूमि का नामान्तरण जोविप्रा के पक्ष में दर्ज होने के उपरान्त ही ले–आउट प्लान जारी किया जावें। 2. पेट्रोल पम्प डिस्पेन्सिग यूनिट मे 50 मीटर परिधि में कोई आवासीय कमिटमेंट नही है बाबत् सुनिश्चितता जोन स्तर से की जावें। 3. आवेदित भूमि की 100 मीटर की परिधि में ज्वलनशील गतिविधि के संबंध में जोन से टिप्पणी प्राप्त की जावें। 4. आवेदक को राजस्थान स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, PESO व अन्य संबंधित विभाग द्वारा जारी गाइडलाइन की पूर्ण पालना की जानी होगी। 5. प्रार्थी से संबंधित एजेन्सी राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण/पी.डब्ल्यू.डी से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) प्राप्त किया जावे जिसकी सुनिश्चितता पट्टा विलेख जारी करने से पूर्व जोन स्तर पर की जावें। 6. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है0 से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावें। 7. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ–पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नही है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ–पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें। 8. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम के अनुसार भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेन्डा संख्या 25

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
27.07.2022	पूर्व	खारडा रणधीर	113(90/क निर्णय पश्चात् नवीन खसरा संख्या 113/2)	12.07.00 बीघा	*आवासीय योजना*
आवेदक	श्री मोहनलाल, हरीराम पिसरान! सुराराम, रमेश कुमार राजूराम, हस्तीराम पिसरान् मांगीलाल, दाकुडी पत्नी श्री रणजीतराम, जमना पत्नी श्री मूलाराम, जसोदा पत्नी श्री अनिल, नाबालिग मनीष, खुशी पिसरान् अनिल वली माता जसोदा, नितिन पुत्र श्री मूलाराम, चंदु, पिंकी, चंचल, संजना पुत्रिया मूलाराम, जगदीश, प्रेम, विजय, ओमाराम, कानाराम पिसरान् भंवरलाल, गीता पत्नी श्री तुलसीराम, अशोक, राकेश पिसरान् तुलसीराम, रेखा, राखी पुत्रियं तुलसीराम, जरिये खास– मुख्त्यार श्री कुलदीपसिंह पुत्र श्री गोविन्दसिंह,			

विषयः–	राजस्व ग्राम खारडा रणधीर के खसरा संख्या 113 (90/क निर्णय पश्चात् नवीन खसरा संख्या 113/2)रकबा 12.07.00 बीघा में आवासीय योजना प्रयोजनार्थ ले–आउट प्लान अनुमोदन बाबत्।
निर्णयः–	**समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार–विमर्श निम्नलिखित शर्तो के साथ ले–आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गयाः–** 1. आवेदित भूमि को उपलब्ध पहुँच मार्ग की चौडाई जोनल डवलपमेंट प्लान अनुसार 80 रखे जाने हेतु सडक मध्य से 12 मीटर में आ रही प्रार्थी की भूमि निःशुल्क समर्पित करवायी जावे। 2. आवेदित भूमि में से गुजर रही एचटी लाईन के सेफ्टी कोरिडोर उपरान्त 12–12 मीटर की सडक का प्रावधान मानचित्र में किया जावे। 3. राज्य सरकार द्वारा दिनांक 10.08.2020 को जारी अधिसूचना अनुसार नियमानुसार मोबाईल टॉवर एवं ठोस कचरा संग्रहण स्थल का प्रावधान किया जावें। 4. नियमानुसार आन्तरिक विकास कार्यो की एवज् में विक्रय योग्य क्षेत्रफल के 12.5 प्रतिशत क्षेत्रफल के बराबर भूखण्ड रहन में रखे जाने है जिनको आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण होने की सुनिश्चितता के उपरान्त रहन मुक्त किया जावेगा। 5. मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के प्रावधानुसार नियमानुसार राशि जोन स्तर पर ली जावें। 6. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ–पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नही है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ–पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें। 7. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

आयुक्त महोदय द्वारा धन्यवाद के साथ बैठक सम्पन्न हुई। उक्त कार्यवाही विवरण सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

08/08/2022

उप नगर नियोजक (द्वितीय)
एवं सदस्य सचिव
भवन मानचित्र अनुमोदन समिति (एल.पी.)
जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

क्रमांकः F37(3)/नि.आ./बीपीसी(एल.पी.)/का.वि./2022/3520 to 24 दिनांकः– 8/8/22

प्रतिलिपी :– निम्न को अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. निजी सचिव, (आयुक्त महोदय), जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
2. निजी सचिव, (सचिव महोदय), जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
3. निदेशक (अभियांत्रिकी/आयोजना), जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
4. उपायुक्त (पूर्व), जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
5. एसीपी/एनआईसी शाखा को भेजकर लेख है कि इसे जो.वि.प्रा. की वेबसाईट पर अपलोड करने का श्रम करें।

08/08/2022

उप नगर नियोजक (द्वितीय)
एवं सदस्य सचिव
भवन मानचित्र अनुमोदन समिति (एल.पी.)
जोधपुर विकास प्राधिकर, जोधपुर

8/8/22

8/8/2022

परिशिष्ट–"1"

भवन मानचित्र समिति (ले–आउट प्लान) की 04/2022 की बैठक (जोन पूर्व एवं पश्चिम) दिनांक 07.06.2022 को आयुक्त महोदय, जोविप्रा, जोधपुर की अध्यक्षता में उनके कक्ष में आयोजित हुई, बैठक में उपस्थिति निम्नवत थी:–

1.	श्री अवधेष मीणा, आयुक्त, जो.वि.प्रा., जोधपुर।	अध्यक्ष
2.	श्री जयनारायण मीणा, सचिव, जो.वि.प्रा. जोधपुर।	सदस्य
3.	श्री सुभाष चन्द्र शर्मा, निदेशक (आयोजना), जो.वि.प्रा. जोधपुर।	सदस्य
4.	श्री महेन्द्र पंवार , निदेशक (अभियांत्रिकी), जो.वि.प्रा. जोधपुर।	सदस्य
5.	श्री श्रवण सिंह राजावत उपायुक्त (पूर्व) जो.वि.प्रा. जोधपुर	सदस्य
6.	श्री गणपत लाल सुथार, उप नगर नियोजक जो.वि.प्रा. जोधपुर	सदस्य सचिव

08/08/2022

उप नगर नियोजक (द्वितीय)
एवं सदस्य सचिव
भवन मानचित्र अनुमोदन समिति (एल.पी.)
जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

LAY-OUT PLAN OF KH.NO. 701 VILLAGE - JHALAMAND, TEH.-JODHPUR, DIST. - JODHPUR

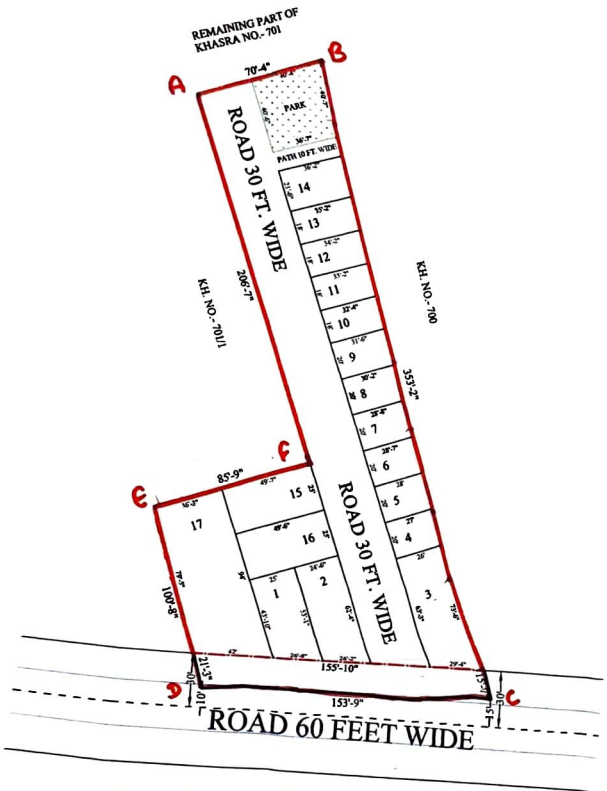

P.NO.	AREA SQ. FT.	AREA YDS.
1	1213.19	134.80
2	1415.14	157.24
3	1795.86	199.54
4	530.38	58.93
5	549.99	61.11
6	567.9	63.10
7	572.68	63.63
8	587.05	65.23
9	617.96	68.66
10	574.3	63.81
11	589.65	65.52
12	605.45	67.27
13	623.43	69.27
14	765.86	85.10
15	1241.74	137.97
16	1237.97	137.55
17	3289.32	365.48
TOTAL	16777.87	1864.21

N
W E
S

SCALE :-1"=50'

S. NO	AREA	SQ. FEET	SQ. YARDS	PERCENTAGE
1.	RESIDENTIAL	16777.87	1864.21	54.03
2.	PARK AREA	1552.55	173.50	05.02
3.	ROAD AREA	12720.69	1412.41	40.95
	TOTAL AREA	31051.11	3450.12	100.00

दि. 22/4/22 को भौतिक सत्यापित layout Plan के प्रस्तुत प्लान का मिलान कर मात्र सेपारीज खेद्र A से F मार्क किया गया।

8/4/22

प्रवीण आशिया
निरीक्षक (भू.अ.)
जोधपुर विकास प्राधिकरण

JDA/Dir(P)/Z-2/109
07/08/2023

एजेन्डा संख्या 22

बैठक दिनांक	क्रम	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
27.07.2023	3	झालामण्ड	701	01.15.00 बीघा	आवासीय योजना

नामांकन — श्री नगीनलाल पुत्र श्री गुरुराम

विषय — राजस्व ग्राम झालामण्ड के खसरा संख्या 701 रकबा 01.15.00 बीघा में आवासीय योजना प्रयोजनार्थ से–आउट प्लान अनुमोदन बाबत।

निर्णय — समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार–विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ से–आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया–

1. आवंटित भूमि को उपलब्ध फ्रोंट मार्ग की सीमा 60 फीट की यदि तथा मानक रकबा 2.50 बीघा भूमि में आ रही प्रथम की भूमि से ही विक्रय सम्पति करवायी जावे।
2. नामांकनी से अधिक रकबा 51.53 वर्गमीटर हेतु नियमानुसार राशि ली जावे।
3. राज्य सरकार द्वारा दिनांक 13.08.2020 को जारी अधिसूचना अनुसार नियमानुसार पार्किंग टावर एवं दीप्त रकबा संरक्षण स्थल का प्रावधान किया जावे।
4. नियमानुसार आन्तरिक विकास कार्यों की एवज में विक्रय योग्य क्षेत्रफल के 12.5 प्रतिशत क्षेत्रफल के बराबर भूखण्ड सरन में रखा जाने वाला आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण होने की सुनिश्चितता के उपरान्त पट्टा मुक्त किया जावेगा।
5. मुख्यमंत्री ग्राम आवास योजना 2015 के प्रावधानुसार नियमानुसार राशि जैसे कि ली जावे।
6. उक्त परिवर्तित भूमि के सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद व्यवस्थित एवं न्यायिक मामले की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रस्तावित भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लंबित है। इस बाबत लीज स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे।
7. आवंटित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

सहायक नगर नियोजक
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

15/09/2023
उप नगर नियोजक
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

उपायुक्त (जोन-2)
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर